संख्या-185/2016/236/22-2-2016-17(103)/2016

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 30 सितम्बर, 2016***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सरजन सिंह पुत्र श्री राजाराम यादव, निवासी-जनपद-फिरोजाबाद की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2563/प्रो0-5-दया0-अन्य-118/22-12-2015 दिनांक 25-01-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सरजन सिंह पुत्र श्री राजाराम यादव, निवासी-मो0 कोटला, थाना-दक्षिण, जिला-फिरोजाबाद का रहने वाला है। बन्दी द्वारा पूर्व में हुयी पिता की हत्या के बदले की भावना से दिनांक 20-02-1975 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, डण्डा व लोहे की राड से 01 व्यक्ति की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-130/1975 में भा0द0वि0 की धारा-302/149,147 के अन्तर्गत मा0 तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, आगरा द्वारा दिनांक 02-12-1978 को दोषमुक्त किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 01-10-1997 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी के 03 अन्य सहअभियुक्त कारागार में सजा भोग रहे है तथा 01 अन्य सहअभियुक्त दयायाचिका के आधार पर रिहा किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 08.09.2015 तक 12 वर्ष 09 माह 22 दिन की अपरिहार एवं 17 वर्ष 00 माह 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक, द्वारा अपनी आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी द्वारा रिहा होने पर पुन: अपराध करने की सम्भावना है। बन्दी रिहा होने पर गवाहों को प्रभावित कर सकता है। बन्दी की पारिवारिक, सामाजिक तथा आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई के उपयुक्त नहीं है, के दृष्टिगत रखते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस अधीक्षक की आख्या से सहमत होते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति ने अपनी आख्या में अंकित किया है कि बन्दी की काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति, जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी सरजन सिंह (बन्दी संख्या-8019) पुत्र श्री राजाराम यादव, निवासी जनपद-फिरोजाबाद की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-185/2016/236/(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in